

23-5-16

पत्रावली प्राप्त जोकि अदालत में
लगाए गए हैं। वकील
को अदालत में बुलाया है। शीवाजी
ने अफिलिस होकर निवेदन किया
कि वे इस दाये को आगे नहीं
चलाना चाहते हैं। वकील चादी के
निवेदन पर दाये का खारिज किया जाता
है। पत्रावली केवल मुद्रण होकर
बाद लक्ष्मील नम्बर है कम्प्लो

Not
fressed

S

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़